

उत्तर प्रदेश
BAR COUNCIL OF UTTAR PRADESH



(Statutory Body Constituted Under The Advocate Act, 1961)

अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण-पत्र
Advocate Enrolment Certificate
अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ की
Delivered Under Advocates Act, 1961
धारा २२(१) के अंतर्गत प्रदत्त
Of Section 22(1)
क्रमांक - उ.प्र.१६३३१/२२
Enrollment No. - UP16331/22



प्रमाणित किया जाता है कि

Certified that

श्रीमती / कुमारी / श्री

Shrimati/Kumari/Shri.

पत्नी / पिता श्री

Wife of/Son of/Daughter of/Shri.

सौरभ

SAURABH

मनोज कुमार सिंह

MANOJ KUMAR SINGH

जनपद फिरोजाबाद आज की तिथि से उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के अन्तर्गत अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत किए गए तथा उनका नाम अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ की धारा १७ के अधीन बार कौंसिल द्वारा अनुरक्षित अधिवक्ता पंजिका में अंकित कर लिया गया।

District FIROZABAD from this date has been enrolled in Bar Council Of Uttar Pradesh and the name is entered in the roll Under Section 17 of the Advocate Act, 1961 practice is by Bar Council of Uttar Pradesh.

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक १६/१०/२०२२ को बार कौंसिल द्वारा मुद्रांकित तथा हमारे हस्ताक्षर द्वारा पदान किया गया।

This certificate dated on 16/10/2022 issued by Bar Council Of Uttar Pradesh delivered under by our seal & signature.

Jay Narayan Pandey

(Jay Narayan Pandey)
Vice-Chairman

Imran Mabood Khan

(Imran Mabood Khan)
Member-Secretary

Madhusudan Tripathi

(Madhusudan Tripathi)
Chairman

कुलसचिव
जे० एस० विश्वविद्यालय
फिरोजाबाद (फिरोजाबाद)